

8 MAY 2019
BELT AND ROAD 2.0

संदर्भ

- 25 से 27 अप्रैल के मध्य चीन द्वारा प्रस्तावित बेल्ट एण्ड रोड फोरम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया इसमें 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ विश्व के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं कुछ राष्ट्रों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया जिसमें भारत और अमेरिका शामिल रहें। फोरम के दूसरे बैठक के आरंभ से ही विरोधाभास दिखने लगा है।
- यह विरोधाभास सामरिक और राजनीतिक संदर्भों के कारण उभर कर सामने आया है।

BRI परियोजना -

- चीन द्वारा आर्थिक मंदी से उबरने, बेरोजगारी से निपटने और अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु 'वन बेल्ट, वन रोड परियोजना को पेश किया गया।
- BRI चीन द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़कों और रेल-मार्गों, गैस पाइप लाइन और बंदरगाह से जोड़ा जाएगा।
- दुनिया के 65 देशों को इस प्रोजेक्ट में जोड़ने की योजना है, जिनमें विश्व की 4.4 अरब आबादी रहती है।
- चीन ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क मार्ग, रेलमार्ग, से जोड़ने के लिए BRI के तहत सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना शुरू की है।

इसमें 6 गलियारे बनाये जाने का प्रस्ताव है-

1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
2. न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज
3. चीन-मध्य एशिया- पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा
4. चीन-मंगोलिया आर्थिक गलियारा
5. बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा
6. इंडो-चाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा

BRI के उद्देश्य-

- व्यापार हेतु समुद्री व जमीनी दोनों मार्गों का विकास करना है।
- चीन को वैश्विक व्यापार से जोड़ने हेतु व्यापारिक मार्गों, समानांतर बंदरगाहों, रेल व सड़कों का वृहद नेटवर्क का निर्माण करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों हेतु चीन को अफ्रीका मध्य एशिया से होते हुए यूरोप से जोड़ना है।
- चीन की यह परियोजना व्यापारिक मार्गों पर पश्चिमी देशों के दबदबे को कम करेगी।

भारत और BRI परियोजना

- भारत ने चीन के इस प्रोजेक्ट में चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) भी प्रस्तावित है। ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत ने इस अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया।
- BRI से भारत, पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा केंद्र में आता है इस मुद्दे को भारत और पाक के बीच द्विपक्षीय मुद्दे के रूप में देखा जाता है।
- भारत द्वारा इस परियोजना में शामिल न होने का अन्य कारण BRI में पारदर्शिता की कमी और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में संभावित अस्थिरता का संदर्भ शामिल है।

चर्चा में क्यों?

- बेल्ट एवं रोड फोरम के 6 वर्षों के अपने अनावरण के बाद एक नया अवतार ग्रहण किया है। चीन के अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का यह पहल अपने प्रारंभिक दौर में विश्व में सभी के लिए बहुत कुछ था। इससे चीन की अपनी चिंताएँ भी जुड़ी है जो इस प्रकार है।
- पहला-घरेलू अर्थव्यवस्था** -: जिसमें चीन द्वारा अपने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को बनाए रखने के लिए विदेशों में अधिशेष औद्योगिक उत्पादन प्रवाह और रोजगार का उच्च स्तर बनाए रखने का प्रयास शामिल है।
- **दूसरा-घरेलू राजनीति** - चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वकांक्षी पहल के साथ जुड़ने के लिए विदेशी साझेदारों को जोड़ने की पहल शामिल है।
- **तीसरा - सुरक्षा** - पश्चिमी प्रांतों और एशिया-यूरोप के भीतरी इलाकों में स्थिरता लाना जिसका संदर्भ चीन की सीमाई इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है।
- **चौथा - रणनीति** - एशिया, अफ्रीका, यूरोप, भारत और प्रशांत महासागरों में राजनीतिक - सामरिक उद्देश्यों के लिए चीन की नई-आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना और अमेरिकी नेतृत्व को चुनौति देने के लिए नए मानकों और विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना।
- लेकिन बीजिंग बहुत जल्द अपने रूख से स्थांतरित हो सकता है। दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के निष्कर्ष के रूप में इस महत्वकांक्षी पहल के प्रारंभ से ही विरोधाभास देखने को मिला है।
- इस फोरम में एक मजबूत प्रतिक्रिया मिली जिसमें चीनी परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता को बहुत छानबीन को साथ देखा जा रहा है। दुनियाभर में श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को चेतावनी के संकेत के रूप में वर्णित किया जा रहा है। इसके अलावा चीन के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा यूरोपीय संघ, दक्षिण प्रशांत और कनाडा में भी सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा होने लगी हैं।
- अपने व्यापारिक व्यवहार में चीन की भूमिका को जानबूझकर खुले तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जिबूती में चीनी सैन्य अड्डा और साथ ही जाम्बिया, मालदीव, और ब्राजील के साथ सामरिक संदर्भ एक राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है।
- इस सभी कमियों के बावजूद भी BRI का आकर्षण बना हुआ है। कई देश अभी भी चीन को लोकतांत्रिक नौकरशाही और शर्तों के साथ ऋण देने वाले संस्थानों की तुलना में एक आकर्षक विकल्प के रूप में देखते हैं।
- यूरोपिय संघ को मजबूत राजनीतिक संदेश देने के लिए इटली को इसमें शामिल किया गया है।
- बीजिंग की रणनीति में भी बदलाव देखने को मिला है।
- 2017 के बाद से चीनी विदेशी वित्तीय प्रवाह धीमा हो गया है और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से हटकर डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों की तरफ मुड़ गया है।
- इन बिपरीत रूझानों को देखते हुए BRI का भविष्य पहले से कहीं अधिक अनिश्चित है।

आगे की राह

- चीन वैश्वीकरण का समर्थक देश रहा है अतः उसे विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का समर्थन करना चाहिए।
- WTO के अनुसार खुली और प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहिए न कि संरक्षणवादी नीतियों को।
- पश्चिमी देशों द्वारा वैश्विक आर्थिक व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु फ्री-ट्रेड-पॉलिसी अपनानी चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न- चीन द्वारा प्रस्तावित BRI परियोजना आर्थिक से अधिक उसकी विस्तारवादी महत्वकांक्षा का एक रूप है। एक तरफ यह चीन द्वारा प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था के समर्थन की नीति के विरुद्ध है वहीं WTO और अन्य राष्ट्रों के आपसी व्यापारिक संबंधों को हतोत्साहित भी करता प्रतीत होता है। उदाहरण देते हुए उपर्युक्त कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

आलू पर पेटेंट : मुकदमा खत्म, मुद्दा नहीं

संदर्भ

- बहुराष्ट्रीय बेवरेज कंपनी द्वारा (पेप्सिको) गुजरात के किसानों पर पेटेंटेड आलू की फसल उगाने पर किया गया मुकदमा।
- हाल ही में बहुराष्ट्रीय बेवरेज कंपनी पेप्सिको के द्वारा गुजरात राज्य के चार किसानों पर 26 अप्रैल 2019 को आलू की एक खास किस्म जिसका पेटेंट कंपनी के नाम था को उगाने के मामले में 1.1 करोड़ रुपये का जुर्माना के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया था।
- हालांकि चौतरफा दबाव के चलते कंपनी ने मुकदमा वापस लेने की घोषणा की है। यद्यपि अहमदाबाद की एक वाणिज्यिक अदालत ने आलू के विवादित किस्म के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाते हुए सुनवाई की तारीख 4 जून तय की है। इससे पहले ही कंपनी द्वारा मुकदमा वापस लेने की घोषणा से किसानों को तात्कालिक रूप से राहत मिल गई है।
- यद्यपि देखा जाए तो सिर्फ आलू ही नहीं अपितु बैंगन, कपास, सुरजमुखी से लेकर तमाम अन्य तरह की फसलों के उन्नत बीजों पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता चला जा रहा है। इससे बीजों पर किसानों के हक को छिना जा रहा है, जिसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु कड़े किए जा रहे कानून है।
- ऐसे में एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या भविष्य में किसान खेती पर अपना परंपरागत अधिकार को खो देंगे?

वर्तमान परिदृश्य -

- आलू की पेटेंट का यह मामला अप्रैल 2019 में तब चर्चा में आया जब पेप्सिको ने यह दावा किया कि उसके एक चिप्स ब्रांड (लेज) को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली आलू की एक खास किस्म (FC-5) को अपनी मर्जी से उगाकर गुजरात के साबरकांठा के चार किसानों ने कॉपीराइट कानूनों (प्लांट वैराइटी प्रोटेक्शन (PVP) यानि पौध किस्म संरक्षण का उल्लंघन किया है। यह असल में FL-2027 किस्म का आलू है जिसे अमेरिका ने 2003 में विकसित किया था। आलू की इस किस्म का विकास अमेरिकी आविष्कारक राबर्ट हुप्स ने किया था और वर्ष 2003 में फ्रीटोले नार्थ अमेरिका इंक नामक कंपनी के जरिए इसका पेटेंट कराया था। अमेरिका में यह पेटेंट 2023 तक के लिए मान्य है। आलू की यह किस्म हमारे देश में FC-5 के नाम से जानी जाती है। इस किस्म की विशेष बात यह है कि यह चिप्स बनाने के अनुकूल होती है। इस किस्म के आलू एक खास गोलाई के होते हैं और इनकी सफेदी और इनमें नमी की मात्रा चिप्स की जरूरतों के मुताबिक होती है।

भारत में इस आलू के किस्म की खेती :-

- पेप्सिको आलू की इस किस्म का उत्पादन कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत चुनिंदा किसानों से कराती है। ऐसा नहीं है कि किसान कान्ट्रैक्ट से बाहर जाकर आलू के इस किस्म की खेती नहीं कर सकते परन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें एक तो पेटेंट की अवधि बीतने का इंतजार करना होगा और दूसरे इसके लिए रॉयल्टी चुकानी होगी। उल्लेखनीय है कि भारत में FC-5 के पेटेंट की अवधि 2031 तक है। यदि कंपनी की कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तों से बंधे किसानों के अतिरिक्त अन्य किसान इसे उगाते हैं तो नियमतः कंपनी उनसे मनमाना जुर्माना वसूल सकती है।

कंपनी की आशंका :- इस मामले में कंपनी ने किसानों से अदालत के बाहर समझौते का प्रस्ताव भी रखा था जिसमें कंपनी की शर्तों के अनुपालन के साथ यह भी कहा गया था कि FC-5 किस्म के आलू के लिए किसान कंपनी से ही बीज खरीदेंगे और केवल कंपनी को ही अपनी ऊपज बेचेंगे। असल में पेप्सिको एक तरफ जहाँ आलू की FC-5 किस्मों पर एकाधिकार चाहती है वहीं इसे यह भी डर सता रहा है कि अगर किसी अन्य कंपनी ने किसानों

से इस किस्म की आलू बड़े पैमाने पर खरीद कर चिप्स बनाने शुरू कर दिये तो चिप्स मार्केट पर पेप्सिको के वर्चस्व को सेंध लग सकती है।

किसानों की आशंका :-

- किसानों के मन में यह आशंका है कि इस तरह पेप्सिको भारत में आलू उत्पादन क्षेत्र में एकछत्र राज स्थापित करना चाहती है। यह एकाधिकार हासिल हो जाने पर वह बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी आलू की खरीद बिक्री और इस प्रकार से उसकी कीमतें निर्धारित करने की हैसियत में आ जाएगी।

बिचौलियों की भूमिका :-

- वास्तविक रूप में कांट्रेक्ट फार्मिंग के तहत वेंडर्स या बिचौलियों के माध्यम से किसानों को जब आलू या किसी अन्य फसल के बीज मुहैया कराए जाते हैं तो उन्हें पेटेंट और इससे जुड़ी शर्तों से अवगत नहीं कराया जाता है। ये बिचौलियों न तो कंपनी के करार की खामियाँ बनाते हैं और न ही कंपनी के ब्रांड और इससे जुड़े कानूनों और अधिकारों की कोई सूचना देते हैं। सच्चाई ये है कि गुजरात के किसानों को बिचौलियों द्वारा कांट्रेक्ट फार्मिंग और बीज से जुड़ी कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। कृषकों को ये पता नहीं था कि बीज का पेटेंट हुआ है या नहीं।

आगे की राह :-

- यह मामला सिर्फ आलू की इसी किस्म तक सीमित नहीं है। बीजों पर पेटेंट मामला इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदौलत हजारों करोड़ रूपयों के कारोबार में तब्दील हो चुका है और बहु राष्ट्रीय कंपनियों में इन पर एकाधिकार को लेकर होड़ मची है।
- यही नहीं इससे यह सवाल भी जोर शोर से उठा है कि जब बीज पर से ही किसानों का हक समाप्त हो जाएगा या छीन जाएगा तो वह खेती कैसे करेगा और फसले देश को कैसे देगा? साफ है कि आलू के बीज वाले ताजा मामले को एक उदाहरण मानते हुए इसमें सरकारों एवं जागरूक संगठनों को दखल देनी होगी अन्यथा देश में पेट भरने वाले अनाज, फल-सब्जियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बंधक हो जाएगी और किसान से लेकर आमजन तक खाने-पीने की चीजों के लिए मनमाने दाम चुकाने को बाध्य हो जाएंगे।

विशेष :-

पेटेंट -

- पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा तकनीकी, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके। दूसरे शब्दों में पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है।

पौधा विविधता संरक्षण अधिनियम :-

- पौधा किस्म, कृषकों और पौधा संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और पौधों की नई किस्म का विकास को प्रोत्साहित करने हेतु इस अधिनियम को 2001 में स्थापित किया गया है।

कांट्रेक्ट फार्मिंग :-

- इस प्रकार की कृषि को पूर्व निर्धारित कीमतों पर उत्पादन और आगे के समझौते के अंतर्गत कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए कृषकों और विपणन कंपनियों के मध्य एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- भारत में पारंपरिक कृषि की प्रथा पर पेटेंट कानून एवं अनुबंध कृषि के द्वारा किये जा रहे आघातों से कृषकों को कैसे बचाना चाहिए? कृषकों को एक नए तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में गुजरात के कृषकों पर किए गए हर्जाने के मुकदमे के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।